UPSR010017802025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) –उच्चतर **न्यायिक सेवा – UP06330**

सेशन केस संख्या – 418/2025

राज्य बनाम. अमीरुददीन

दिनांक 14.03.2026

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। अभियुक्त उपस्थित है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) उपस्थित हैं। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त व विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और उसकी ओर से स्वेच्छया से जुर्म स्वीकार किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह बहुत गरीब है, कम से अर्थदण्ड से दण्डित करके मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जुर्म इकबाल स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अमीरुद्दीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जुर्म इकबाल स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अपराध संख्या –324/2022, अंतर्गत धारा 135–1–ए विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद श्रावस्ती के मामले में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को मु० 5,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। विद्युत विभाग राजस्व बकाया यदि कोई हो तो उसे नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.03.14 11:05:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court